

भैंस चोरी के तीन दोषियों को छह वर्ष का कारावास

संवाद सूत्र, जगरण ● श्रावस्ती : भैंस चोरी के 18 वर्ष पुराने मामले में तीन दोषियों को न्यायालय ने छह-छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन अधिकारी विजयपाल ने बताया कि सिरसिया क्षेत्र के सोहेलवा के पखरपुरवा गांव निवासी बड़कऊ की भैंस को छह अगस्त वर्ष 2006 को सिरसिया क्षेत्र के

● छह-छह हजार रुपये का लगाया गया अर्थदंड

मनिहारनपुरवा निवासी रामसूरत, चकपिहानी निवासी बाबादीन व भिनगा क्षेत्र के सकटपुरवा निवासी मनीराम चोरी कर ले गए थे। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ।

पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। विचारण व सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शारिब अली ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई है।

महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा पर लगी कार्यशाला

संदेश वाहक न्यूज

श्रावस्ती। पुलिस कार्यालय सभागार में महिला एवं बाल सुरक्षा पर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य महिला बीट पुलिसिंग को सुदृढ़ बनाना, मिशन शक्ति के तहत योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाना था।

सीओ सिठी संतोष कुमार ने महिला बीट कर्मियों को उनके क्षेत्रों की भौगोलिक व सामाजिक जानकारी के साथ-साथ हॉट-स्पॉट और संवेदनशील स्थानों की पहचान करने को बताया गया। साथ हीं बीट कर्मियों को अपराध प्रभावित क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर, शिकायतकर्ताओं से संवाद स्थापित करने और आवश्यक समाधान सुनिश्चित करने



महिला एवं बाल सुरक्षा पर कार्यशाला को सम्बोधित करते क्षेत्राधिकारी।

का निर्देश दिया गया। क्षेत्राधिकारी कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। द्वारा महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, बाल विवाह व बाल त्रप्ति जैसी समस्याओं पर जागरूकता अभियान चलाने और हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार-प्रसार करने की योजना बनाई गई। मिशन शक्ति के तहत योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा व सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। साथ सभी बीट अधिकारियों से आह्वान किया कि महिला एवं बाल सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी को समर्पित होकर कार्य करना चाहिए।